प्रेस विज्ञप्ति   बिजनौर पुलिस   दिनांकः– 10.10.2021

थाना धामपुर पुलिस द्वारा 20 किलो गोवंशीय मीट के 02 अभि0गण 02 छुरा तथा अन्य काटने के उपकरणो सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी धामपुर के कुशल पर्यवेक्षण में **आज दिनॉक 10.10.2021 को** थाना धामपुर पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर सुहागपुरा कब्रिस्तान की झाड़ियों से घेराबन्दी कर अभि0गण 1–कमल हसन पुत्र नजर हसन, 2–इरशाद पुत्र सरदार अहमद निवासीगण सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर, 3–आरिफ पुत्र अकबर निवासी हरेवली थाना शेरकोट बिजनौर, 4–आलम पुत्र मौ0 जैकी निवासी निवासी इन्द्रानगर वसन्त बिहार देहरादून उत्तराखण्ड को 20 किलो गोवंशीय मांस, 02 छुरा तथा अन्य काटने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। इनके 02 अन्य साथी निवासी धामपुर मौके से फरार हो गये जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहें है। इस सम्बन्ध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 481/21 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1–कमल हसन पुत्र नजर हसन निवासी सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर,
2–इरशाद पुत्र सरदार अहमद निवासी सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर,
3–आरिफ पुत्र अकबर निवासी हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4–आलम पुत्र मौ0 जैकी निवासी निवासी इन्द्रानगर वसन्त बिहार देहरादून उत्तराखण्ड

बरामदगी का विवरण

1– 20 किलो गोवंशीय मांस
2– 02 छुरा तथा अन्य काटने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना धामपुर

1–वरिष्ठ उ0नि0 श्री शिशुपाल
2–उ0नि0 श्री भवनाथ गंगवार
3–कां0 368 मनीष खोखर
4–कां0 1323 सचिन कुमार
5–कां0 315 सहदेव

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा जिला बदर अभि0गण (पिता पुत्र) गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जिला बदर अभि0गण की निगरानी तथा गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा जिलाबदर अभि0गण 1–मुंशफ अली पुत्र नियाज अली व 2–रिजवान पुत्र मुंशफ़ अली निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को जिलाबदर होने पर भी अवैध तरीके से जिले में रहने पर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना शेरकोर पर मुकदमा अपराध संख्या 224/ 21 व 225 / 21 धारा 3(1)10 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

अभि0गण अभि0गण 1–मुंशफ अली पुत्र नियाज अली 2–रिजवान पुत्र मुंशफ़ अली निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को जिलाधिकारी महोदय बिजनौर द्वारा द्वारा दिनांक 30. 07.2021 को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पताः–

1–मुंशफ अली पुत्र नियाज अली निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2–रिजवान पुत्र मुंशफ़ अली निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि0 मुंशफा उपरोक्तः–

1– मु0अ0सं0 164/19 धारा 420/467/468/471/504/506 आईपीसी थाना शेरकोट बिजनौर।

2– मु0अ0सं0 165/19 धारा 406/323/504/506 आईपीसी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3– मु0अ0सं0 176 /20 धारा 420/467/468/471 आईपीसी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

4– मु0अ0सं0 224/ 21 धारा 3(1)10 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना शेरकोट बिजनौर।

<u>आपराधिक इतिहास अभि0 रिजवान उपरोक्तः–</u>

1– मु0अ0सं0 164/19 धारा 420/467/468/471/504/506 आईपीसी थाना शेरकोट बिजनौर।

2– मु0अ0सं0 165/19 धारा 406/323/504/506 आईपीसी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3– मु0अ0सं0 176 /20 धारा 420/467/468/471 आईपीसी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

4– मु0अ0सं0 225/ 21 धारा 3(1)10 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना शेरकोट बिजनौर।

<u>गिरफ्तारी टीमः–</u>

थानाध्यक्ष शेरकोट मय टीम

<u>थाना स्योहाराः–</u> आज दिनॉक 10.10.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाना स्योहारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 570/21 धारा 363 भादवि0 कें वांछित अभि0 इकबाल पुत्र अफजाल निवासी ग्राम नींदड़ू थाना स्योहारा को गिरफ्तार किया गया तथा अपहर्ता अर्शी परवीन पुत्री गफ्फार को सकुशल बरामद किया गया।

<u>थाना चॉदपुरः–</u> आज दिनॉक 10.10.2021 को थाना चॉदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अरविन्द पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बमनौला थाना चॉदपुर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना चॉदपुर पर मु0अ0सं0 645/21 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

दिनॉक 10.10.2021

मिशन शक्ति अभियान फेस–03

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गॉवों में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गॉवों में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना चॉदपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गॉवों में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गॉवों में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।